

(नमूना कविले करोवत)

सम्मान वास्ते कारारवाट उमूर तनकही तलब

(आई काथरा 1 व 5)

जिला

वादी

प्रतिवादी

न्यायालय

मुकद्मा

(नमूना कविले करोवत)

सम्मान वास्ते कारारवाट उमूर तनकही तलब

(आई काथरा 1 व 5)

जिला

वादी

प्रतिवादी

न्यायालय

मुकद्मा

हरग्राह

के आपके नाम एक नलिशा बाबत

के दायरे की है, कि लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख माह सन् २०० ई० बववत बने दिन के असावतन या मार्फत वकील के जो मुकद्मे के हलात से करार वकाई वाकिफ किया गया हो ओर कुल उमूरत अहम मुतालिका मुकद्मा का जवाब दे सके, या जिसके साथ कोई ओर शक्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाजिर हो और जवाबदेही दावा कि ओर हरग्राह यह तारीख जो आपके इजहारो के लिए मुकद्देर है वास्ते इन्फिसाल कतई मुकद्मे को तजबीब हुई है, बस आपको लाजिम है कि उसी रोज आपने जुमला गावाही को जिसकी शहादत पर बाज तनाम दस्तावेजों को जिन पर आप अपनी जवाबदेही को ताईद में इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करे बरोज मजकर आप हाजिर न होंगे। तो मुकद्मा बगौर हाजिरी आपके मममूह और फैसेला होगा।

दस्ताब मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज तारीख।

माह सन् २००

ई० जारी किया गया।

इत्तिला

नाम अदालत
नम्बर मुकद्मा
नाम फरीद

नाम अदालत
नम्बर मुकद्मा
नाम फरीद

(१) अगर आपको यहा अन्देशा हो आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होंगे तो वो अदालत हाजा से सम्पन नई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराये जाये और दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आपका इस्तेहाक रखते है वह उससे पेश कराई जाये वन्नत अपना खर्चा जरूरी अदालत में दखिल करके इस अग्र को दरख्यास्त गुजराये।

(२) अगर आप गुतालबा मुद्दे को तस्लीम करते है तो आपको लाजिम है कि रूपया खर्चा नलिशा करे ताकि कारावाई इजराय डिग्री को, जो आपकी जाद पर माल दोनो पर होए करना न पड़े।

हरग्राह

के आपके नाम एक नलिशा बाबत

के दायरे की है, कि लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख माह सन् २०० ई० बववत बने दिन के असावतन या मार्फत वकील के जो मुकद्मे के हलात से करार वकाई वाकिफ किया गया हो ओर कुल उमूरत अहम मुतालिका मुकद्मा का जवाब दे सके, या जिसके साथ कोई ओर शक्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाजिर हो और जवाबदेही दावा कि ओर हरग्राह यह तारीख जो आपके इजहारो के लिए मुकद्देर है वास्ते इन्फिसाल कतई मुकद्मे को तजबीब हुई है, बस आपको लाजिम है कि उसी रोज आपने जुमला गावाही को जिसकी शहादत पर बाज तनाम दस्तावेजों को जिन पर आप अपनी जवाबदेही को ताईद में इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करे बरोज मजकर आप हाजिर न होंगे। तो मुकद्मा बगौर हाजिरी आपके मममूह और फैसेला होगा।

दस्ताब मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज तारीख।

माह सन् २००

ई० जारी किया गया।

इत्तिला

नाम अदालत
नम्बर मुकद्मा
नाम फरीद

(१) अगर आपको यहा अन्देशा हो आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होंगे तो वो अदालत हाजा से सम्पन नई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराये जाये और दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आपका इस्तेहाक रखते है वह उससे पेश कराई जाये वन्नत अपना खर्चा जरूरी अदालत में दखिल करके इस अग्र को दरख्यास्त गुजराये।

(२) अगर आप गुतालबा मुद्दे को तस्लीम करते है तो आपको लाजिम है कि रूपया खर्चा नलिशा करे ताकि कारावाई इजराय डिग्री को, जो आपकी जाद पर माल दोनो पर होए करना न पड़े।